राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0/296/2024 दिनांकः–24 फरवरी, 2024 (24/02/2024)

सेवा में, **अति आवश्यक/अनुस्मारक–3**

प्राचार्य/प्राचार्य/प्रबन्धक,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषयः–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम–2023 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र सं0–आर0एम0पी0यू0/1747/2023 दिनांक 09 जून, 2023, पत्र सं0–आर0एम0पी0यू0/2143/2023 दिनांक 04 अगस्त, 2023 एवं पत्र सं0–आर0एम0पी0यू0/2949/2023 दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 11 मई, 2023 के अनुपालन में कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 02 जून, 2023 के आलोक में प्रत्येक महाविद्यालय में **छात्र शिकायत निवारण समिति** गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना है कि अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अपने महाविद्यालय में अभी तक **छात्र शिकायत निवारण समिति** का गठन नहीं किया गया है। निर्देशानुसार आदेशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में **छात्र शिकायत निवारण समिति** का गठन प्रत्येक दशा में दिनांक **29 फरवरी, 2024** तक करना सुनिश्चित करें, तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय के ईमेल **rmpuinfo@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई छात्र अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय न आये और उसकी शिकायत **छात्र शिकायत निवारण समिति** द्वारा लेकर अपनी टिप्पणी सहित विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाये, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा समेकित रूप से समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके।

भवदीय
24/2
डा0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
4. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल

कुलसचिव

V letter